कोरोना काल में बढ़ी राष्ट्रीय लोक अदालत की भूमिका

वैश्विक महामारी कोविड–19 ने सम्पूर्ण मानव जीवन को गहराई तक प्रभावित किया है। वर्तमान दौर में सम्पूर्ण प्रदेश में न्यायालय सामान्य रूप से क्रियाशील नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आमजन को न्याय सुलभ कराने एवं विधिक सेवा गतिविधियों के माध्यम से आमजन को विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने हेतु माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् संगीत राज लोढ़ा, प्रशासनिक न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं 181 तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है।

लोक अदालत भी उन नई विकसित धारणाओं में से एक है, जो कोरोना काल में भी नए आयाम स्थापित करती है, जिसके द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। लोक अदालत का नवीन घटक ऑनलाईन मोड़ को अपनाना है, जिसके माध्यम से आम जनता अपने घर में सुरक्षित रहते हुए ऑनलाईन माध्यम से अपने प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निस्तारण करवा सकती है।

कोविड–19 के दौरान भी **''न्याय सबके लिए''** वाक्य को चरितार्थ करने हेतु सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 एवं 12 दिसम्बर, 2020 को लोक अदालतों का आयोजन किया गया।

कोविड काल में लोक अदालत के आयोजन हेतु आमजन के अनुकूल प्रक्रिया को अपनाया गया। लोक अदालत में पक्षकारों की

टेलीफोन, व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग एवं अन्य ऑनलाईन माध्यम से सुनवाई की गई। दोनों पक्षकारों की काउंसलिंग करवाकर आपसी समझौते से प्रकरण का निस्तारण करवाया गया एवं लोक अदांलत में पारित पंचाट पर ओटीपी प्रक्रिया के माध्यम से दोनों पक्षकारों से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करवाए गए।

श्रीमान् ब्रजेन्द्र जैन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत के संबंध में यह जानकारी प्रदान की गई कि दिनांक 22 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई लोक अदालत ऑनलाईन तरीके से आयोजित की गयी थी, जिसमें पक्षकारों व उनके अधिवक्तागण ने अपने–अपने निवास/कार्यालय से प्री–काउंसलिंग में ऑनलाईन भाग लिया। इसी प्रकार प्री–काउंसलर्स ने भी अपने निवास/कार्यालय से ही लोक अदालत सफल बनाने हेतु प्रकरणों में प्री–काउंसलिंग करायी। इस ऑनलाईन लोक अदालत में 4,395 प्रकरण प्री–लिटिगेशन के तहत एवं न्यायालयों में लम्बित 29,151 प्रकरण सहित कुल 33,546 प्रकरणों में समझौते के आधार पर राजीनामा कराया जाकर कुल 2,70,09,49,313 रुपए के अवार्ड पारित किये गये।

इसी प्रकार दिनांक 12.12.2020 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों तरीके से पूरे राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में आयोजित की गयी। श्री जैन ने यह भी बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री–लिटिगेशन के तहत 10,394 प्रकरण एवं न्यायालयों में लम्बित 39,504 प्रकरण मिलाकर कुल 49,898 प्रकरणों में समझौता किया गया एवं कुल 4,34,30,27,627 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। अतः दोनों लोक अदालत के माध्यम से

प्री–लिटिगेशन के तहत 14,789 प्रकरण एवं न्यायालयों में लम्बित 68,655 प्रकरणों सहित कुल 83,444 प्रकरणों में समझौता कराया गया।

आमजन तक न्याय की पहुँच सुलभ कराने हेतु विशेष रूप से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित 3,742 मामलों का निपटारा किया गया एवं कुल 1,76,69,56,060 रुपए के अवार्ड पारित किए। इसी प्रकार पारिवारिक मामलों में लोक अदालत की बैंचों के समक्ष लगभग 4,000 परिवार पुनः साथ रहने को राजी हुए।

कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि लोक अदालत ने कोरोना काल में लगभग 700 करोड़ से भी अधिक राशि के अवार्ड पारित कर पीड़ित/परिवादी पक्ष को भारी राहत पहुंचायी है। राजस्थान के सुदूर स्थल जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली एवं सिरोही में निवास करने वालों के प्रकरणों का भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाकर **''न्याय सबके लिए''** वाक्य को चरितार्थ किया गया है।